किस्म मुकदमा ....767, 7.6.8.... नं. ....3/2022.... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राष्ट्रीय लोक अदालत	
12/3/22	प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र धा. 12 सपठित 183 के पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। मैंने द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगोद से प्राप्त प्रस्ताव, ILR सांगोद एवं पटवारी सांगोद से प्राप्त रिपोर्ट, पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित किये जाते हैं कि ग्राम सांगोद, तह. सांगोद के ख.नं. 767 रकबा 0.55 है. में से 0.06 है., ख.नं. 768 रकबा 0.54 है. में से 0.02 है., भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मु. रास्ता" दर्ज किया जावे। उक्त रास्ता निर्बाधित सार्वजनिक रास्ता के रूप में रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 3/2022 तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

निरंजना शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद तहसील सांगोद। –प्रार्थीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। –अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगोद से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि पटवार मण्डल सांगोद की रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा व मौकानुसार ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खसरा नंबर 767 रकबा 0.55 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, सिवायचक भूमि आमजन/कृषकगणों द्वारा आम रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है जो खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त खसरा नम्बरान की प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में ''आम रास्ता'' के रूप में दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू–अभिलेख निरिक्षक सांगोद द्वारा भी रिपोर्ट पटवारी का मिलान कर उपरोक्त खसरा नंबरान में ''आम रास्ता'' दर्ज किये जाने की अभिशंषा की जिसके उपरान्त तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर रिपोर्ट पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षण की अनुशंषा तथा मौके की स्थिति के अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि को राजस्व रिकार्ड में ''आम रास्ता'' दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

चूंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 में 'मानचित्र एवं फील्डबुक का संधारण'' एवं धारा 132 में 'वार्षिक रजिस्टरों के संधारण' के प्रावधान हैं। धारा 131 में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है। धारा 132 में भू–अभिलेख अधिकारी पर दायित्व रखा गया है कि वह वार्षिक रजिस्टरों में निर्धारित रीति से उन सब परिवर्तनों को जो हो जाएं, लिखवायेगा। साथ ही राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत भू–अभिलेखों का संधारण किया जाता है। राजस्थान भू– राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 60 में नक्शें में दुरूस्ती करने के प्रावधान हैं। रास्ते हेतु नक्शे में संशोधन करने हेतु नियम 60(एच) के प्रावधान हैं। इस संबंध में राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3(2) राज.–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के द्वारा चालू स्थाई रास्तों को राजस्व अभिलेख में अंकन करने के निर्देश दिये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित किये जाते हैं कि ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खसरा नंबर 767 रकबा 0.55 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

भूमि को प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व रिकार्ड में ''गै.मु.रास्ता'' दर्ज किया जावें। उक्त रास्ता सिवायचक खाता सरकार में यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:57 IST
Reason: SelfAttested